अपील सूचना अधिकार संख्या 68/2022 (GCMS 2022/240)(आरटीआई नं. 212817929461186) चन्द्र कुमार सोनी निवासी एल–5 मॉडल टाउन, सूरतगढ रोड़, श्रीगंगानगर – 335001 <u>बनाम</u> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>21.02.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी चन्द्र कुमार सोनी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 09.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, किन्तु अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी चन्द्र कुमार सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. राजस्थान मनीलैंडर्स एक्ट 1963 के तहत पूरे गंगानगर जिले मे ब्याज पर रकम देने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत विभागों व अधिकारियों की जानकारी
2. राजस्थान मनीलैंडर्स एक्ट 1963 के तहत पूरे गंगानगर जिले में ब्याज पर रूपये देने हेतु रजिस्टर्ड सभी व्यक्तियों के नाम, पता व फोन नम्बर की प्रमाणित सूची।
3. उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत दरों व समय अवधि (दोनों की) अधिकतम व न्यूनतम तय [illegible] जानकारी
4. उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत रहन/गिरवी रखे जाने हेतु मान्य/तय की गई वस्तुओं, सम्पत्तियों की जानकारी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत ब्याज की गणना हेतु तय की गई विधि (सामान्य वृद्धि, चक्रवृद्धि अथवा अन्य विधि) की जानकारी।
6. उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत ब्याज पर देने हेतु रकम की, रूपयों की न्यूनतम व अधिकतम सीमा की जानकारी व नियमों के उल्लंघन पर तय कानूनी कार्यवाही व आईपीसी की धाराओं की जानकारी।

प्रभारी अधिकारी, पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2020/1726 दिनांक 14.11.2022 से अपील का जवाब निम्न प्रकार से प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री चन्द्र कुमार सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन दिनांक 09.09.22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रत्युत्तर इस कार्यालय के पत्रांक पंजीयन/2022/1499 दिनांक 28.9.22 से प्रार्थी को निम्नानुसार दिया जा चुका है:

क्र. स.	चाही गई सूचना	दिये जाने वाला उत्तर
1	राजस्थान मनी लैंडर्स एक्ट 1963 के तहत पूरे गंगानगर जिले मे ब्याज पर रकम देने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत विभागों व अधिकारियों की जानकारी।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना चाही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष
2	राजस्थान मनी लैंडर्स एक्ट 1963 के तहत पूरे गंगानगर जिले में ब्याज पर रकमें देने हेतु रजिस्टर्ड सभी व्यक्तियों के नाम पता व फोन नम्बर की प्रमाणित सूची।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के पत्रांक 617 दिनांक 16.04.21 से लिखा गया था परन्तु प्रार्थी इस हेतु न तो इस कार्यालय में प्रस्तुत और न ही सूचना प्राप्ति हेतु कोई पत्र व्यवहार इस कार्यालय को किया गया। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की प्रथम अपील खारिज की जावे।

प्रभारी अधिकारी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी चन्द्र कुमार सोनी ने इस न्यायालय में पूर्व में एक अपील पेश की थी जो प्रकरण संख्या 11/2021 अनवान् चन्द्र कुमार सोनी बनाम प्र.अ. पंजीयन शाखा एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में रूप में दर्ज हुई जिसमें दिनांक 02.03.2021 को निम्न निर्णय पारित किया गया था :

चूंकि उक्त प्रपत्र से यह अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी उसी रूप में सामग्री प्रदान करे जिस रूप में लोक प्रधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना का अधिकारी का काम नहीं है। इस दृष्टिकोण से अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2020 से जो उत्तर दिया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओ को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण को [illegible] करना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वो उनके कार्यालय में राजस्थान मनी लैण्डर्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

एक्ट 1963 के तहत उपलब्ध अभिलेख का प्रार्थी को निरीक्षण करवा देवें और उसमें से किसी निश्चित अभिलेख की प्रार्थी कोई सूचना चाहे तो वह उसे इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

-sd-
(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2021 को किया जा चुका है और अपीलार्थी ने उन्हीं प्रश्नों हेतु पुनः यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी यदि प्रथम अपील के निर्णय से असन्तुष्ट था तो उसे माननीय राज्य सूचना आयोग, जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं **अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:21 IST
Reason: SelfAttested